रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2003/27 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 18 जुलाई, 2003

संख्या वि0 स0-लैज-गवर्नमैंट बिल/1-76/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 (2003 का

विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 18 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2003 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2003 है ।

(2) यह 24 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 10 का संशोधन ।

1994 का 13.

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 में,—

(i) उप-धारा (3) में,—

(क) "और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, सदस्य के रूप म नामनिर्देशित कर सकेगी:" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "।" चिन्ह रखा जाएगा; और

(ख) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ii) उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी :

परन्तु यह कि व्यक्ति जिसने किसी नगरपालिका का ठीक पूर्ववर्ती चुनाव लड़ा हो और हारा हो तो वह उस नगरपालिका या किसी अन्य नगरपालिका के सदस्य के रूप में, इसकी विद्यमान अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारित करेगा, परन्तु इस अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में यथा उपबन्धित नगरपालिका की अवधि से परे नहीं ।

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट सदस्यों तथा नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यपालक अधिकारी को और नगर पंचायत की दशा में सचिव को नगरपालिका की बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।"।

धारा 13 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 13 में, विद्यमान उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है । 2003 का 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 10(3) यह उपबन्धित करती है कि सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों के अतिरिक्त, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखने वाले तीन से अधिक व्यक्तियों को भी सदस्य के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी। तदनुसार तत्कालीन राज्य सरकार ने विभिन्न व्यक्तियों को राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किया था। नई सरकार के गठन के साथ स्थानीय निकायों के साथ-साथ जन साधारण से भी पूर्व नामनिर्देशनों पर पुनः विचार करने और उनके स्थान पर नए व्यक्ति नामनिर्देशित किए जाने की मांगे उठ रही थी क्योंकि विद्यमान नामनिर्देशित सदस्य वर्तमान सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में सहयोग नहीं कर रहे थे और राज्य के नगरपालिका निकायों के निर्बाध कार्य में भी बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि का निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के साथ ही समाप्त होना विहित है (को-टर्मिनस है) इसलिए विधि के उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार पूर्व में नामनिर्दिष्ट सदस्यों को बदलना विधिक रूप से कठिन हो गया था। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि नामनिर्दिष्ट सदस्यों को राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त ही पद धारित करना चाहिए। यह भी विनिश्चय किया गया था कि व्यक्ति जिन्होंने किसी भी नगरपालिका का चुनाव लड़ा है या हारा है वे सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे। इस कारण से पूर्वोक्त अधिनियम में, संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 4) 24 मई, 2003 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे 24 मई, 2003 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को, आंशिक उपान्तरणों के साथ, नियमित अधिनियमिति द्वारा इस विस्तार तक प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है कि केवल वही व्यक्ति, उस नगरपालिका या किसी अन्य नगरपालिका के सदस्य के रूप में, इसकी विद्यमान अवधि के दौरान, नामनिर्दिष्ट किए जाने से विवर्जित होंगे, जिन्होंने किसी नगरपालिका का ठीक पूर्ववर्ती चुनाव लड़ा हो और हारा हो।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपान्तरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख..... 2003.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

जे0 एल0 गुप्ता,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख .....2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 *of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of May, 2003.

Ammendment of section 10.

13 of 1994

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(*i*) in sub-section (3),—

(*a*) for the words and signs "and the State Government may, by notification, also nominate as members, not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration:", the sign "." shall be substituted; and

(*b*) the existing proviso shall be deleted; and

(*ii*) after sub-section (3), the following new sub-sections shall be added, namely:—

"(4) The State Government may, by notification, nominate as members not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration :

Provided that a person who contested and lost the immediately preceding election of a municipality shall not be nominated by the State Government as a member of that municipality or any other municipality during its existing term:

Provided further that a member nominated under this sub-section whether before or after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2003 shall hold office during the pleasure of the State Government, but not beyond the term of municipality as provided for in sub-section (1) of section 14 of this Act.

(5) The nominated members referred to in sub-section (4) and the Executive Officer in case of Municipal Council and Secretary in case of Nagar Panchayat, shall have the right to attend all the meetings of the municipality and to take part in the discussion therein but shall not have any right to vote.".

Amendment of section 13.

3. In section 13 of the principal Act, the existing sub-section (2) shall be deleted.

Repeal and saving.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance 2003 is hereby repealed. 4 of 2003

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sectior 10(3) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 provide that in addition to the persons chosen by direct election, the State Government may by notification, also nominate as members, not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration. Accordingly, the then State Government had nominated different public persons as nominated members in all the Urban Local Bodies of the State. With the formation of new Government, demands were pouring in from local bodies as well as public to reconsider the earlier nominations and to nominate fresh public persons in place of them as the existing nominated members were not co-operating in the implementation of the policies of the present Government and also creating hurdles in smooth working of Municipal bodies of the State.

The term of the nominated members as per section 13(2) of the Act *ibid* stand prescribed as co-terminus with the term of the elected members, therefore, it had legally become difficult to replace the earlier nominated members in the public interest as per the above provisions of law. Hence it was decided that the nominated members should hold office during the pleasure of the State Government. It was also decided that the person who contested and lost the election of any municipality shall not be eligible for nomination as a member. This has necessitated the amendments in the Act *ibid*.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in Session and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2003 (Ordinance No. 4 of 2003) on 24th day of May, 2003 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 24th day of May, 2003. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment with minor modifications to the extent that only such persons shall be debarred, who contested and lost the immediately preceding election of a municipality, from being nominated as a member of that municipality or any other municipality during the existing term.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with modifications.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
Dated.....2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2003

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 *of* 1994).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. L. GUPTA,
Secretary (*Law*).

SHIMLA:
The ....., 2003.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित